convenience due to the stoppage of the Assam Mail at Manipur Road Railway station for only 3 minutes or so, since Manipur is the only busy Railway Centre for the passengers of Manipur and Nagaland; and

(b) if so, the steps Government propose to take to ease the situation ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). No. Prior to 15-1-68, 4Dn. Assam Mail used to stop at Manipur Road for 5 minutes and 3 Up Assam Mail for 3 minutes. With effect from 15-1-68 the stoppage of 3 Up Assam Mail has also been increased to 5 minutes, which is considered adequate.

PAPER MILLS

2984. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the places where new paper mills are being set up during 1968-69;

(b) whether there is any proposal to set up a paper mill in the Union Territory of Manipur; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) No new paper mills are likely to be set up during 1968-69.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise

SETTING UP OF CEMENT FACTORY IN MANIPUR

2985. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4654 on the 15th December, 1967 and state :

(a) the progress made in the setting up of a Cement Factory in Manipur;

(b) whether it is a fact that there has been much delay in starting the said factory; and

(c) if so, the reason therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The Government of Manipur have recently proposed to entrust the work of detailed investigations of all aspects of the matter to the National Industrial Development Corporation, who may utilise other agencies also, to make comprehensive recommendations to Government for final decision. This proposal is under consideration.

राजस्थान में खनिज उद्योग

2986. श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में, खनिज उद्योग के विकास के लिये एक विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में खनिज उद्योग को अपने हाथ में लेने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने खनिज उद्योग के विकास के लिये राजस्थान में कोई योजना नहीं बनाई है । तथापि राज्य में केन्द्रीय सरकार कम्पनियों ने निम्न योजनाएं हाथ में ली हैं:—

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि सीसा-जस्ता अयस्क का सीसा और जस्ता धातुओं में विधायन करने के लिये राजस्थान के जवार क्षेत्र में सीसा-जस्ता निक्षेपों का विकास कर रही है । उदयपुर के समीप जस्ता प्रद्रावक का निर्माण पूर्ण हो चुका है । इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 18,000 टन ता धातु प्रति वर्ष है और इसमें

1 जनवरी, 1968 में उत्पादन आरम्भ हो गया। धातु का अधिक उत्पादन करने के लिए जवार खानों के उत्पादन का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

(2) हिन्दुस्तान कापर लि० खेतरी तथा कोलिहान के तांबा निक्षेपों का भी विकास कर रही है ताकि 31,000 टन विद्युदांशिक तांबा प्रति वर्ष (21,000 टन खेतरी तथा 10,000 टन कोलिहान से) उत्पादन किया जा सके। दरीबा तांबा निक्षेपों का विकास करके 1400 टन प्रति वर्ष विद्युदांशिक तांबा उत्पादन करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर तथा उदयपुर के राक फास्फेट के विस्तृत पूर्वेक्षण का कार्य प्रगति कर रहा है। उसके अतिरिक्त हवाई सर्वेक्षण का संघटित कार्य तथा तत्पश्चात कार्य यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से बनाया गया है। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के अतिरिक्त, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण करने का कार्य भी सम्मिलित है।

(ग) नहीं, महोदय।

राजस्थान में अभ्रक का व्यापार

2987. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अभ्रक के व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कोई सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशी मुद्रा प्राप्ति की साधन अभ्रक की खानों के मालिकों तथा व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या उन्हें निर्यात की सुविधायें देने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं सम्पूर्ण भारत के लिये लागू हैं। किसी विशिष्ट राज्य के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है।

निर्यात को बढ़ाने के लिये तथा अभ्रक के निर्यात व्यापार को स्थिर करने के लिये सरकार ने विशेष उपाय किए हैं जिनमें ये उपाय शामिल हैं ; अभ्रक के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना जिनसे कम मूल्यों पर माल का निर्यात नहीं किया जा सकता, परेषण के आधार पर अभ्रक के निर्यात पर रोक, निर्यात करने के पूर्व 100 प्रतिशत शाख-पत्र की अपेक्षा, अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण का लागू किया जाना आदि।

अभ्रक का खनन प्रमुखतः तीन राज्यों में किया जाता है अर्थात बिहार (गिरिडीह तथा कोदर्म क्षेत्र में), आन्ध्र प्रदेश (गुडुर क्षेत्र में) और राजस्थान (जयपुर तथा भीलवाड़ा क्षेत्र में)। राजस्थान का लगभग सभी अभ्रक बिहार भेजा जाता है जहां उसका परिष्करण होता है। हाल ही में अभ्रक-चूर्ण तथा अभ्रक-व्यर्थ की जो थोड़ी सी मात्रा निर्यात की गई है उसको छोड़कर राजस्थान से सीधे निर्यात नगण्य हैं।

राजस्थान में रेलवे फाटक

2988. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कई स्थानों पर फाटक लगवाने सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और